न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः अजय कुमार शाही, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(JO CODE- UP6082)

UPAZ010026782026

जमानत प्रार्थना पत्र सं.- 1149/2026

1- संजय भारद्वाज उम्र लगभग 48 साल पुत्र देवनाथ राम निवासी कुतुपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

एवं

UPAZ010027012026

जमानत प्रार्थना पत्र सं.- 1162/2026

1- अजीत कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र रामजतन राम निवासी कमथरी नूरपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक- 26.03.2026

1. प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 483 बी.एन.एस.एस.** आवेदकगण/ अभियुक्तगण **संजय भारद्वाज तथा अजीत कुमार** की तरफ से मु०अ०सं०**-109/2026** अंतर्गत **धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस.,** थाना- **कोतवाली** जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण कारागार में निरुद्ध है।

2- उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही घटना तथा एक ही मुकदमा अपराध संख्या से संबंधित हैं, जिस कारण इनका निस्तारण संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

3. जमानत प्रार्थनापत्रों के समर्थन में ओमप्रकाश राजभर तथा सुनीता देवी द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्रों में वर्णित समस्त कथन उनकी निजी जानकारी में सही व सच है।

4. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादी मुकदमा अभिषेक यादव द्वारा थाना स्थानीय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि वादी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। तैयारी के दौरान ही वादी की मुलाकात संजय भारद्वाज से हुए जो बताया कि उसका विद्यालय चलता है और कोचिंग सेंटर भी चलता है। उसने कई लड़कों को आर्मी, पुलिस, ग्रुप डी, एयरफोर्स

Digitally signed by AJAY KUMAR SHAHI
Date: 2026.03.26 16:50:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती कराया है। वादी उसके झांसे में आ गया और उसके मोबाइल नं. 8853000603 पर अपने रेलवे का एडमिट कार्ड भेजा और यू.पी. एस.आई. 2026 की परीक्षा को पास कराने के लिए संजय ने वादी से 10 लाख रूपये बताये और मोबाइल नं. 9235001740 पर बात कराये, जो अपने आप को सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी बताया कि संजय जी ने आपका एडमिट कार्ड मुझे भेज दिया है, संजय की बातों को पूरा करना है, तुम्हारी भर्ती करा दूंगा। उसके बाद संजय ने वादी से 50 हजार रूपया नगद लिया और बाकी पैसा काम होने के बाद या जब वह मांगेंगे, तब देने के लिए कहा और वादी को कई लोगों का ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया। वादी उसके झांसे में आगया। एक दिन संजय ने वादी को कचहरी के पास बुलाया और एक प्रश्नपत्र दिया और कहा कि यही पेपर तुम्हारे दरोगा वाली परीक्षा में आयेगा। जब वादी दिनांक 14.03.2026 को प्रथम पाली में दरोगा का परीक्षा दिया तो उसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आया और वादी यह जान गया कि यह दोनों लोग फर्जी ढंग से अपने झांसे में लेकर वादी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।

5. **आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि** आवेदकगण निर्दोष हैं, रंजिशन अभियुक्त बना दिये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना का दिन, समय़ अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को अभियुक्त बनाने हेतु झूठा कथन किया गया है। प्राथमिकी में तथाकथित प्रश्न पत्र प्राप्त करने का दिनांक नहीं अंकित किया गया है। प्राथमिकी में तथाकथित पचास हजार रूप. नगद देने का दिनांक व समय अंकित नहीं है। तथाकथित प्रश्न पत्र वादी को देने की बाद कचहरी के पास बतायी गयी है। कचहरी के चारों तरफ सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि पुलिस को अपने प्रभाव में लेकर झूठी कहानी बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कथित प्रश्नपत्र वादी द्वारा स्वयं सृजित किया गया है। आवेदक संजय भारद्वाज दिनांक 17.03.2026 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक अजीत कुमार प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, दौरान विवेचना प्रकाश में नाम आया है। सहअभियुक्त संजय के विद्यालय, संस्थाओं में आवेदक की कोई भागीदारी नहीं है। आवेदक अजीत कुमार सहअभियुक्त संजय के विद्यालय में इलेक्ट्रिशन व वायरिंग का काम करता है। सहअभियुक्त ने आवेदक अजीत को मोबाइल खरीदकर दिया था, जो काम के समय अक्सर उन्हीं के पास रहता था। यदि आवेदक अजीत की अनुपस्थिति में मोबाइल का दुरूपयोग किया गया हो तो इस बात की जानकारी आवेदक को नहीं है। वादी न तो आवेदक को जानता पहचानता है और न ही कभी मुलाकात हुई है और न ही खाते में कोई लेन देन वादी द्वारा किया गया है। आवेदक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। आवेदक अजीत को दिनांक 16.03.2026 को पुलिस रात में सोते समय घर से पूछताछ का बहाना बनाकर थाने ले आयी और मुल्जिम बना दी। आवेदक अजीत न तो तथाकथित स्थान से पकड़ा गया और न ही आवेदक के पास से किसी आपराधिक वस्तु की बरामदगी हुई। पुलिस आवेदक के घर से जो पैसा उठाकर लायी, उसे ही बरामदगी दिखा दी। तथाकथित बरामदगी का कोई साक्षी नहीं है। आवेदक अजीत का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

6. **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध

करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक संजय प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है तथा अभियुक्त अजीत का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को एस.आई. परीक्षा का प्रश्नपत्र देकर यह विश्वास दिलाया कि इस प्रश्न पत्र में से ही परीक्षा में प्रश्न आयेंगे और वादी मुकदमा से पचास हजार रूपया नगद ले लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य परीक्षा को शुचिता को भंग करने वाला तथा गंभीर प्रकृति का अपराध है जो आजीवन कारावास तक से दंडनीय है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का अनुशीलन किया।

7- उभयपक्ष को सुनने तथा अभिलेख का अनुशीलन करने के पश्चात यह पाया जाता है कि जिस पेपर के आधार पर यह कथन किया गया है कि वह उ.प्र. दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र था और जिसे विवेचक द्वारा केस डायरी का भाग बनाया गया है, के अवलोकन से ही प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि यह परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से दिया गया प्रश्न पत्र लगता है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण से तथाकथित तौर पर नकद लेनदेन किये जाने का कथन किया गया है, तथा इसका कोई प्रपत्र अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसा कोई अभिलेख है जिससे यह पाया जाता हो कि पैसा कहां से व कब दिया गया। विवेचक द्वारा अभिलेख पर व्हाट्स एप चैट के फोटो प्रति संलग्न किये गये हैं, जिसके अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि यह चैट किसी प्रश्न पत्र के आदान प्रदान के संबंध में नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अजीत कुमार प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। प्रकरण में पर्याप्त विवेचना हो चुकी है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण दिनांक 17.03.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह विदित होता हो कि अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने पर उनके द्वारा साक्षियों को प्रभावित किये जाने अथवा जमानत का दुरूपयोग किये जाने की संभावना हो। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्रों को शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **संजय भारद्वाज तथा अजीत कुमार** की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किये जाते हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुबलिग **1,00,000/-**(एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/ न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होंगे अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेंगे तथा गवाह आने पर बिना किसी स्थगन प्रतिपरीक्षा पूर्ण करेंगे।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेंगे तो इसकी सूचना

सम्बन्धित न्यायालय को देंगे।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा। आदेश की एक-एक प्रति दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों में रखी एवं पढी जाये।

दिनांक-26.03.2026

(अजय कुमार शाही)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।